



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235569
CG-DL-E-05052022-235569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1989]
No. 1989]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

का.आ. 2090(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 20(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 [जिसे इसमें इसके पश्चात् आईपीजेड अधिसूचना 2011 कहा गया है] द्वारा कुछ तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया है और उक्त जोन में उद्योगों, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों की स्थापना करने और उनके विस्तार पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे;

और केन्द्रीय सरकार को आईपीजेड अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अधीन द्वीप तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित विद्युत संयंत्र के समावेशन के बारे में अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एएनसीजेडएमए) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने 16 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में यह महसूस किया है कि अत्यंत प्रदूषणकारी स्रोतों अर्थात् पारंपरिक डीजल जेनरेटर (डीजी सेट) पर निर्भरता को कम करते हुए द्वीप निवासियों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईपीजेड अधिसूचना में एक समर्थकारी उपबंध की व्यवस्था करने की आवश्यकता है;

और सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात् उक्त राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने यह सिफारिश की है कि 200-500 मीटर बीच द्वीप तटीय विनियमन जोन-III क्षेत्र के भीतर गैस आधारित विद्युत संयंत्र के समावेशन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार

और उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड, 3 उपखंड (ii) में का.आ. सं. 4790(अ) तारीख 18 नवंबर, 2021 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 18 नवंबर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उसकी उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आईपीजेड अधिसूचना, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में आईसीआरजेड III से संबंधित पैरा 3 के उप पैरा (घ) के खंड (3) के उपखंड (ख) में, मद (viii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

“(ix) गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करना”।

[फा. सं. 12-12/2018-आईए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड, 3 उपखंड (ii) में का.आ. सं. 20(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें का.आ. सं. 3840(अ) तारीख 3 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2022

S.O. 2090(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 [hereinafter referred to as the IPZ notification, 2011], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas, the Central Government have received a proposal from Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (ANCZMA) regarding inclusion of Gas based power plant within the Island Coastal Regulation Zone area under the provisions of the IPZ notification, 2011;

And whereas, the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 43rd meeting held on the 16th August, 2021 has felt that there is a need to provide an enabling provision in the IPZ notification to meet the energy requirement of the islanders while reducing the dependency on highly polluting sources viz. conventional Diesel Generator (DG sets);

And whereas, after due deliberation the said NCZMA has recommended that inclusion of Gas based power plant within Island Coastal Regulation Zone-III area between 200-500 m needs consideration;

And whereas, a draft notification, required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 4790 (E), dated the 18th November, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which the copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 18th November, 2021;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said IPZ notification, 2011, namely:-

In the said notification, in paragraph III, in sub-paragraph (D); in clause 3 relating to ICRZ-III, in Sub-clause (b), after item (viii), the following item shall be inserted, namely: -

“(ix) *Setting up of Gas based power plant*”.

[F. No. 12-12/2018-IA III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and last amended *vide* S.O. 3840 (E), dated the 3rd August, 2018.